निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 56/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
रामनिवास पुत्र श्री देवीनारायण जाति अहीर निवासी वृजनाथपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री ओ॰ पी॰ सारण पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर ।
2. रूकमणी देवी पत्नी जगदीश नारायण
3. संतोष देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम चंदलाई तहसील चाकूस जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 179/2019 ब उनवानी रूकमणी देवी बनाम रामनिवास वगैरह को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री रामधन चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राकेश कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 05.11.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रकरण संख्या 179/2020 ब उनवानी रूकमणी देवी बनाम रामनिवास वगैरह विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादीगण ने अपने जबाब दावें में कब्जे के अनुसार खसरा नम्बर 23, 24, 25, 26, 27, 39, 40, 42, 43, 44, 46 की भूमि पर कब्जा काश्त होना अंकित किया था और इन खसरा नम्बरान पर तारबन्दी होना भी बताया था तथा अपना मकान बाडा भी इही नम्बरों में होना अंकित किया था। जिसके बावजूद भी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त को नजर अन्दाज करते हुये वादीगण के कहे अनुसार नक्शे कुरेजात रिपोर्ट गलत रूप से भेज दी तथा एस डी ओ साहब पटवारी को स्वयं फोन करके कहते है कि मैं कहूं उस अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट भेजो और अब एक तरफा में वादीगण के हक में अन्तिम डिकी पारित करने पर आमदा हो रहे है। अभी हाल में ही अप्रार्थी संख्या 3 के पति राजेन्द्र प्रसाद ने प्रार्थी को धमकी दी कि अब जल्दी एस डी ओ साहब हमारा दावा डिकी कर देंगे हमारी उनसे बात हो चुकी है जिस पर प्रार्थी अपने मुकदमें की जानकारी करने व अपने अधिवक्ता से वार्तालाप करने दिनांक 17.08.2020 को न्यायालय में गया तो उसने अप्रार्थी संख्या 3 के पति को एस डी ओ साहब के चैम्बर में से आते देखा। प्रार्थी को चैम्बर के बाहर खडा देख अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उसके विरूद्व निर्णय करने की

जिला कलक्टर
जयपुर

धमकी दी । अप्रार्थी संख्या 3 के पति की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्य चकित हो गया कि ये कैसे हुआ ? जब अप्रार्थी संख्या 3 का पति अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्यत्र न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है जो अपने खातेदारी अधिकारों के लिये विचाराधीन वाद में अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लड रहा है तथा प्रार्थी के पास वाद अधीन भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि या अन्य कोई जीविकापार्जन का साधन नहीं है। अप्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी हरकतो से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर प्रार्थी के विरूद्व निर्णय करवा देंगे तो प्रार्थी अपने वैद्यानिक अधिकारों से वंचित हो जावेगा। ऐसी स्थिति में न्याय की दृष्टि से प्रार्थी के मुकदमें को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना आवश्यक है। न्याय की मन्शा है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुये प्रार्थी को ऐसा प्रतीत भी होना आवश्यक है, कि उसे न्याय प्राप्त होगा । इसी सन्दर्भ में राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यांयालय ने अपने अनेकों निर्णयों में यही प्रतिपादित किया है कि यदि परिवादी को न्याय प्राप्त नही होने की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में प्ररकण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नही हुई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी पर मन माफिक कुरेजात रिपोर्ट बनवाने का आरोप लगाया है, जबकि कुर्रेजात रिपोर्ट संबंधित पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा बनाये जाकर न्यायालय में पेश किये जाते है। इसलिए प्रार्थी के कथन को बल नहीं मिलता है। उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुनने एवं सम्पूर्ण तथ्यों पर मनन करने से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
5. उपखण्ड अधिकारी चकासू उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा उपखण्ड अधिकारी चाकसू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
6. निर्णय आज दिनांक 05.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

5/11/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर